न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 158/2018

–: प्रार्थी :–

1. कन्हैयालाल पुत्र घेवरचन्द जाति–ब्राह्मण निवासी–निमाज, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. गीतादेवी पत्नी सोहनलाल जाति–कुमावत
2. बिरदीचन्द पुत्र लाबुराम
3. चम्पालाल पुत्र लाबुराम
4. रामलाल पुत्र हरकाराम
5. तुलसीराम पुत्र गोकलराम
6. नारायणलाल पुत्र गोकलराम समस्त जातियान– कुमावत, निवासीगण– निमाज, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.22/06/2018

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 09/01/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमाज चक प्रथम के पटवार हल्का निमाज चक प्रथम में खसरा नंबर 769 रकबा 09–07 बीघा किस्म चाही प्रथम व खसरा नंबर 769/4 रकबा 0–3 बीघा किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 02 कुल रकबा 09–10 बीघा आई हुई है उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की तरमीम सुदा जमीन है। जो सड़क जैतारण से बर जाने वाली के दोनों तरफ आई हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 769/1 रकबा 01–09 बीघा व खसरा नंबर 769/3 रकबा 06–02 बीघा जो अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 06 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। उपरोक्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पहले सामलाती भूमि थी जिसका वाद में कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा कर दिया गया। प्रार्थी की कृषि भूमि जो कि तरमीम सुदा है एवं अप्रार्थीगण की भूमि के पास में चिपती हुई आई हुई है जिसको अप्रार्थीगण सीमा को लेकर/मांठ को लेकर आये दिन विवाद करते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारों तरफ की गयी तारबन्दी को तोड़ देते है मांठ बिखेर देते है एवं कभी प्रार्थी की भूमि पर अपना

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हक जताने लग जाते है जबकि प्रार्थी की भूमि अलग से बंटी हुई है। जिसके खसरा नंबर भी अलग है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण जो कि संख्या में अधिक होने से लाठी एवं धनबल के आधार पर आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करते है। दिनांक 03.06.2018 को अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारों तरफ लगी हुई तारबन्दी को हटाकर प्रार्थी की भूमि के अन्दर जुताई करने लग गया तब प्रार्थी ने उसको ऐसा कृत्य करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने सीमा/मांठ को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जबकि मौके पर मांठ लगी हुई है तथा पूर्व में ही जमीन अलग-अलग बंटी हुई है उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण आये दिन सीमा विवाद करते है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जमीन का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगडडी की जावे। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। तथा अप्रार्थीगण को सीमाज्ञान के पश्चात पाबन्द किया जावे कि वह भविष्य में किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं करें। प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी निमाज चक प्रथम में आई हुई है जो श्रीमान के श्रवणाधिकार में है एवं निर्धारित कोर्ट फिस पर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की ओर वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद नंबर 01 में वर्णित आराजी स्थित होना रेकॉर्ड से संबंधित है प्रार्थी ने उक्त आराजियात का संपूर्ण विवरण अंकित नहीं किया है। अतः प्रार्थी वर्णित आराजीयात के विवरण संबंधी कथन दस्तावेजी प्रमाण से प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र के पद नंबर 03 में वर्णित कथन गलत एवं मिथ्या होने की वजह से अस्वीकार है। उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण ने ना तो कभी किसी तरह का कोई विवाद किया है ना ही कभी किसी तारबंदी को ही तोड़ा है, ना ही कभी प्रार्थी की भूमि में अपना कोई हक ही जताया है। वास्तविकता कि जो प्रार्थी स्वयं की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में प्रारम्भ से ही चली आ रही है, वह यह है कि प्रार्थी स्वयं की नियत ही बद चली आ रही है तथा वह येनकेन प्रकारेण उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण के हक हिस्से व अधिकार की भूमि को हड़पने तथा उसे अपने हक हिस्से की आराजीयात में मिलाने पर आमादा हो रखा है। इसी बदनियतिवश प्रार्थी स्वयं ही जबरन कब्जा करने हेतु प्रयासरत चला आ रहा है। इस बाबत् उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण द्वारा समझाइश किये जाने पर उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण के साथ ही लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करने लग जाता है। समझाइश करने का प्रयास करने पर नहीं समझता है। इस प्रकार प्रार्थी की नियत ही प्रारम्भ से बद चली आ रही है। प्रार्थी ने इस पद में उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण पर जो भी आरोप लगाये है उसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है। प्रार्थी ने उक्त तमाम आरोप केवलमात्र मौजूदा प्रकरण का झूठा आधार एवं वादकारण बनाने की नियत से अंकित किये गये है। प्रार्थी की नियत बद होने की वजह से वह अपने हक हिस्से अधिक उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण की भूमि में पत्थरगढी करवाकर उसे अपने हक हिस्से की आराजीयात में मिलाना चाहता है। उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से की आराजीयात में समय समय पर लाखों रूपयें की धनराशि लगाकर तथा समय, क्षम एवं

उपखण्ड अधिकारी
कैलाश (करौली)

Scanned by CamScanner

धन इत्यादि लगाकर उसमें काफी विकास एवं विस्तार किये है तथा उसे काफी उन्नत उपजाऊ एवं कीमती बनाया है। जिसकी वजह से प्रार्थी स्वयं की नियत बद चली आ रही है तथा वह अधिक उन्नत उपजाउ एवं कीमती आराजीयात को हड़पना चाहता है। इसी बदनियतिवश गलत व झूठे आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो कि पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण के हक में उत्तरकर्ता अप्रार्थी के विरूद्ध मोजूदा प्रकरण बाबत कभी भी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए लाया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी ने मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत एवं झूठा उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण को हैरान, तंग, परेशान करने एवं उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण को खर्चे से जेरबार करने एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रस्तुत किया है। कि जिसका उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण को मजबूरन प्रतिकार करना पड़ा है। अतः प्रार्थी का वाद इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है तथा उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण प्रार्थी से विशेष हर्जा एवं खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी है।

हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस सुनी और उसपर मनन किया। पत्रावली और उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। ग्राम-निमाज प्रथम, तहसील-जैतारण की जमाबंदी संवत 2073-2076 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी खसरा संख्या 769 रकबा 09-07 चाही प्रथम एवं खसरा संख्या 769/4 रकबा 00-03 चाही प्रथम का एकमात्र खातेदार काश्तकार है, वहीं खसरा संख्या 769/1 रकबा 01-09 चाही प्रथम की अप्रार्थी संख्या 01 गीतादेवी और खसरा संख्या 769/3 रकबा 06-02 चाही प्रथम के अप्रार्थी संख्या 02 से 06 खातेदार काश्तकार दर्ज है। इस प्रकार उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उक्त समस्त खसरान एक ही मूल खसरा संख्या 769 से बने हुए हैं तथा ऐसी भूमि को लेकर पड़ौसी खातेदारों के मध्य यदि स्पष्ट सीमा विभाजक चिन्ह नहीं होते हैं तो परस्पर सीमा-विवाद होना स्वाभाविक है। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार एवं कब्जेकाश्त है। धारा 128, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रावधान है कि सीमा विवादों का निस्तारण धारा 111 में वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए किया जाएगा। अतः हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थी खातेदार की ग्राम-निमाज चक प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित आराजी खसरा संख्या 769 रकबा 09-07 बीघा, खसरा संख्या 769/4 रकबा 00-03 बीघा का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रकिया से सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

करवाते हुए सीमा–विवाद का निस्तारण करें एवं खातेदार की खातेदारी भूमि पर संबंधित खातेदार के हर्जे–खर्जे पर सीमा विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 09/01/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.01.10 15:56:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: